AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

भारत में बाल विवाह को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में समझना

मनीराम मीना,
रिसर्च स्कॉलर,
यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी, जयपुर

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPERSUBMITTED BY MEFORPUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILLNOT Be LEGALLYRESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OFCONTENT AMENDMENT/OR ANY TECHNICAL ISSUE WITHNO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE,I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THISPAPER/ARTICLE

सार

एक नाबालिग (आमतौर पर एक लड़की) और एक वयस्क (आमतौर पर एक पुरुष) के बीच उसके वयस्क होने से पहले विवाह को बाल विवाह के रूप में जाना जाता है। कम उम्र में शादी एक विश्वव्यापी मुद्दा है। पूरे भारत में फैला हुआ है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, बाल विवाह न केवल मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है बल्कि विकास उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी खतरा है। कम उम्र में विवाह लैंगिक असमानता का सूचक और कारण है। बाल विवाह को मातृ मृत्यु दर और रुग्णता के जोखिम को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है क्योंकि यह आमतौर पर महिलाओं को कम उम्र में बच्चे पैदा करने की ओर ले जाता है। कम उम्र में शादी करने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, महिलाओं के पास करियर, वित्तीय स्थिरता और समाज में योगदान के लिए कम विकल्प होते हैं। बाल विवाह द्वारा लड़कियों और युवा महिलाओं के स्वास्थ्य और विकास के अधिकारों का अभी भी नियमित रूप से उल्लंघन किया जाता है।

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

शादी की उम्र पर राष्ट्रीय नियमों और लंबे समय से चले आ रहे प्रथागत और धार्मिक नियमों के बीच अक्सर एक विसंगति होती है, और सरकारें अक्सर मौजूदा कानूनों को लागू करने या इसके लिए संशोधन करने में असमर्थ होती हैं।

कीवर्ड: भारत, बाल विवाह, सामाजिक मुद्दे

1 परिचय:

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसे अपने अस्तित्व के लिए समाज में संबंध बनाने की जरूरत है। समय के साथ, मनुष्यों ने अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक पैटर्न और तंत्र विकसित किए हैं; इससे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का विकास होता है। जैसे धर्म, परिवार, विवाह आदि। सभी संस्थाओं में परिवार और विवाह ही समाज को संपूर्ण मानते हुए सर्वाधिक मान्यता प्राप्त और अनुसरण की जाने वाली संस्था है। ये उपर्युक्त संस्थाएँ समाजशास्त्रीय आवश्यकताओं को पूरा करके मानव को एक साथ बाँधती हैं। विवाह के माध्यम से, एक परिवार का जन्म इसके दो मुख्य उद्देश्यों के साथ होता है, अर्थात् मानव की यौन आवश्यकताओं को पूरा करना और बच्चों की उत्पत्ति। परिवार की संस्था मातापोषण करने का कर्तव्य -पिता पर बच्चे की रक्षा और पालन-डालती है, जो ऐसे परिवार का सबसे कमजोर सदस्य है। हालाँकि, ऐसे कई उदाहरण हैं, जहाँ बच्चे को उतनी देखभाल और सुरक्षा नहीं मिलती जितनी उन्हें चाहिए; यहाँ तक कि कभी-कभी उन्हें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनके हितों के विरुद्ध होती हैं।[1]

न्यायमूर्ति सुब्बा राव, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित शब्दों में इस पर जोर दिया:

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

"सामाजिक न्याय की शुरुआत बच्चों से होनी चाहिए। जब तक कोमल पौधे की ठीक से देखभाल और पोषण नहीं किया जाता है, तब तक उसके मजबूत और उपयोगी पेड़ में विकसित होने की बहुत कम संभावना है। इसलिए, सामाजिक न्याय के पैमाने में पहली प्राथमिकता बच्चों के कल्याण को दी जानी चाहिए। "

पूरी दुनिया में बच्चों का कई तरह का शोषण होता है, जो समाज को प्रभावित करता है और ऐसे बच्चों के अधिकारों का हनन करता है। बाल विवाह लगभग सभी राष्ट्रों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है क्योंकि यह न केवल बच्चे को प्रभावित करता है बल्कि यह ऐसे देश की समृद्धि को भी प्रभावित करता है।[2]

2. बाल विवाह

भारत में बाल विवाह, भारतीय कानून के अनुसार, एक ऐसा विवाह है जिसमें महिला या पुरुष की उम्र 21 वर्ष से कम है। अधिकांश बाल विवाह में लड़कियां शामिल होती हैं, जिनमें से कई गरीब सामाजिकआर्थिक स्थिति में होती हैं।-

भारत में बाल विवाह प्रचलित हैं। अनुमान बाल विवाह की सीमा और पैमाने के रूप में स्रोतों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। 2015-2016 की यूनिसेफ की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की बाल विवाह दर 27% है। भारत की जनगणना ने 1981 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना अवधि में बाल विवाह में महिलाओं के अनुपात के साथ उम्र के हिसाब से विवाहित महिलाओं की गिनती और रिपोर्ट की है। 2001 की अपनी जनगणना रिपोर्ट में, भारत ने 10 वर्ष से कम आयु में शून्य विवाहित लड़कियों, 1.4 मिलियन विवाहित लड़कियों का उल्लेख किया है। 10-14 आयु वर्ग की 59.2 मिलियन लड़कियों में से लड़कियां, और 15-19 आयु वर्ग की 46.3 मिलियन लड़कियों में से 11.3

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

मिलियन विवाहित लड़कियां हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि '2001 के बाद से, 2005 और 2009 के बीच भारत में बाल विवाह दर में 46% की गिरावट आई है। झारखंड भारत में सबसे अधिक बाल विवाह दर)14.1%) वाला राज्य है, जबकि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ बाल विवाह दर है। हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। जम्मू और कश्मीर को 2009 में 0.4% पर सबसे कम बाल विवाह के मामलों वाला एकमात्र राज्य बताया गया था। बाल विवाह की ग्रामीण दर 2009 में शहरी भारत की दर से तीन गुना अधिक थी।[3]

2.1 विवाह का अर्थ और अवधारणा

भारत में एक परिवार में शादी सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो किसी भी बोधगम्य सामाजिक प्रतिबद्धता, रिश्तेदारी संबंध, सांस्कृतिक महत्व, भावुक भावना और आर्थिक संसाधन को उद्घाटित करती है। भारतीय सामाजिक संरचनाओं के विविध क्रमपरिवर्तन आदर्श रूप से शादियों की योजना और निष्पादन में दिखाए जाते हैं।[4]

भारत में लगभग सभी के लिए शादी को अहम माना जाता है। विवाह स्त्री के लिए अस्तित्व का महान जलसंभर है, जो वयस्कता के मार्ग को चिह्नित करता है। सामान्य तौर पर, यह परिवर्तन, भारत में किसी भी अन्य की तरह, व्यक्तिगत इच्छा के बजाय कई लोगों के प्रयासों का उत्पाद है। और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत विकल्प के प्रयोग के बिना एक विशिष्ट परिवार में पैदा होता है, तो उसे बिना किसी व्यक्तिगत वरीयता के प्रयोग के एक साथी सौंपा जाता है। शादी का आयोजन दूल्हा और दुल्हन के मातापिता और अन्य - सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विवाह संबंधों में संसाधनों का कुछ हस्तांतरण, साथ ही साथ सामाजिक पुनर्गठन का निर्माण और पुनर्गठन शामिल है, और निश्चित रूप से, परिवारों के जैविक पुनरुत्पादन में समाप्त होता है।

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

दूल्हा और दुल्हन को रंगारंग समारोह में भाग लेने वाले पवित्र संस्कारों में एकजुट होने के बाद, नई दुल्हन को उसके ससुराल ले जाया जा सकता है, या, यदि वह बहुत छोटी है, तो वह अपने माता पिता के साथ तब तक रह-सकती है जब तक कि वे उसे बूढ़ा न मान लें। विदा करने के लिए। एक पूर्वयौवन दुल्हन आमतौर पर युवावस्था तक अपने मायके में रहती - है, जिसके बाद उसके वैवाहिक घर और विवाहित जीवन के लिए प्रस्थान करने के लिए एक अलग उपभोग समारोह आयोजित किया जाता है। अपने नए घर के लिए दुल्हन के रोते हुए प्रस्थान की मार्मिकता पूरे भारत में व्यक्तिगत स्मृति, लोककथाओं, साहित्य, गीत और नाटक में प्रमुख है।[5]

3. बाल विवाह का सामाजिकआर्थिक पहलू-

भारत में बाल विवाह सदियों से चला आ रहा है। इसे सामाजिक बुराई के रूप में माना जाता है क्योंकि अपरिपक्व अवस्था में बच्चों को शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही उन्हें विवाह की प्रकृति की उचित समझ न हो और साथ ही उनके शरीर प्रजनन के लिए पूरी तरह से परिपक्व न हों। भारत में बाल विवाह की समस्या धार्मिक परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं, आर्थिक कारकों और गहरी जड़ें वाले पूर्वाग्रहों के एक जटिल मैट्रिक्स में निहित है। इसकी जड़ों के बावजूद, बाल विवाह मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है जो जीवन भर के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। बाल विवाह न केवल व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि यह बड़े पैमाने पर समाज को भी प्रभावित करता है।[6]

लगभग सभी मामलों में, विवाह के तुरंत बाद संभोग किया जाता है, जब उनके शरीर इस तरह के संभोग के लिए जैविक रूप से विकसित नहीं होते हैं, उस अवस्था में उन्हें उचित

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और हालांकि, वे बच्चों को जन्म दे रही होती हैं। कम उम्र में ये संबंध बच्चे के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

बाल विवाह की अवधारणा को कई कारणों से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन कारणों से प्रमुख हैं गरीबी और संस्कृति, परंपरा और पितृसत्तात्मक स्थिति पर मूल्य आधारित। नाबालिग लड़की की शादी अक्सर गरीबी और उसके परिवार की कर्जदारी के कारण होती है। दहेज एक अतिरिक्त कारण बन जाता है, जो गरीब और भारी कर्मचारी हैं। छोटी उम्र की दुल्हनों की सामान्य मांग भी इन बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए उच्च दहेज भुगतान से बचने के लिए जल्द से जल्द लड़की की शादी करने के लिए प्रोत्साहन देती है। हमारे पितृसत्तात्मक संबंधों में लड़की को किसी की संपत्ति और बदहज़मी हो जाती है। ये मान्यताएं माता-पिता को बालिका का विवाह करने के लिए प्रेरित करती हैं। लड़कियों को एक दायित्व माना जाता है क्योंकि उन्हें (परिवार के लिए आय के स्रोत के लिए मदद करने वाले हाथ) के रूप में नहीं माना जाता है जो परिवार के लिए उत्पादकों के रूप में योगदान करते हैं। दुर्भाग्य से, पितृसत्तात्मक स्वर इतना मजबूत है कि निर्णय लेने में लड़कियों को महत्व नहीं दिया जाता है। [7]

4. बाल विवाह के प्रभाव और परिणाम

बाल विवाह को बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, जो उसे शिक्षा प्राप्त करके प्रगतिशील तरीके से विकसित होने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के अवसरों और सुविधाओं से वंचित करता है। यह व्यक्ति को उसकी क्षमताओं, अवसरों और निर्णय लेने की शक्तियों से वंचित करता है और उसके सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के रास्ते में खड़ा होता है।

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

युवा दुल्हनों को जल्दी यौन गतिविधि और गर्भावस्था के संपर्क में आने के कारण यौन और प्रजनन संबंधी खराब स्वास्थ्य के जोखिम का सामना करना पड़ता है।[8]

जो लड़कियां गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं और जिनकी अक्सर कम उम्र में शादी कर दी जाती है, उनकी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं होती है। युवा गर्भावस्था और प्रसव से जुड़े जोखिमों में "समय से पहले प्रसव का जोखिम, प्रसव के दौरान जटिलताएं, जन्म के समय कम वजन और नवजात के जीवित न रहने की अधिक संभावना शामिल है।" रक्तस्राव, सेप्सिस, प्रीक्लेम्पसिया/एक्लेमप्सिया और बाधित प्रस सहित जटिलताओं के कारण 15 वर्ष से कम उम्र की युवा माताओं की मृत्यु 20 वर्ष की आयु की महिलाओं की तुलना में पांच गुना अधिक होती है। किशोर लड़कियों में मातृ मृत्यु दर वयस्क महिलाओं की तुलना में तीन या पांच गुना अधिक होती है। युवा महिलाएं भी मातृ रुग्णता के एक उच्च जोखिम से पीड़ित हैं।[9]

i. मनोवैज्ञानिक प्रभाव

बच्चे को परिवार का सबसे कमजोर सदस्य माना जाता है; वयस्क सदस्य की तुलना में बच्चे का मनोविज्ञान विकसित नहीं होता है। कम उम्र में ही विवाह बंधन में बंधने से मनोविज्ञान पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। विवाह पतिपत्नी पर उत्तरदायित्व - का बोझ डालता है, साथ ही विचारों के अंतर के कारण पतिपत्नी और उसके परिवार के बीच - छोटेबड़े झगड़े होते थे। जिससे व्यक्ति के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। - इसके अलावा, कम उम्र में मनोवैज्ञानिक बोझ होने से व्यक्ति की वृद्धि कम हो सकती है। भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं पर कई तरह की जिम्मेदारियां निहित होती हैं, उनसे घर का सारा काम करने की अपेक्षा की जाती है साथ ही उन्हें परिवार के वंश को

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

चलाने के लिए संतान प्रदान करने का माध्यम भी माना जाता है। यह कम उम्र में लड़की पर अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा कर सकता है जब बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित भी नहीं होता है।

इसके अलावा, बाल विवाह के ज्यादातर मामलों में जबरन सेक्स और शारीरिक पिटाई से बच्चे न केवल अपने शरीर को प्रभावित करते हैं बल्कि उनकी भावनात्मक स्थिरता को भी प्रभावित करते हैं। खासकर लड़कियां इतनी कम उम्र में बच्चों को जन्म देने और पालने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होती हैं। दुल्हन बनने से कुछ ही साल पहले, उनमें से ज्यादातर बच्चे पैदा करने की चिंता के बिना या अपने पति की अगली पिटाई से बचने के बिना सामान्य बच्चों का जीवन जी रही थीं। इन नई परिस्थितियों और समस्याओं से लड़कियां इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं कि कैसे सामना किया जाए और इसके परिणामस्वरूप उनके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आती है। उनकी खुशी और लापरवाह बच्चे का रवैया अचानक डर, घबराहट और अवसाद में बदल जाता है।[10]

ii. जैविक प्रभाव

कम उम्र में शादी करने से लड़की के शरीर पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जब शादी संपन्न हो जाती है, तो लड़की से परिवार के वंश को चलाने के लिए एक बच्चा होने की उम्मीद की जाती है। चूंकि ऐसे बच्चे का शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और गर्भ धारण करने और संभोग करने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाल विवाह में इसकी उपेक्षा की जाती है, चाहे लड़की का शरीर संभोग का बोझ उठाने के लिए तैयार हो या बच्चे का, और यह लड़की के जैविक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। गर्भावस्था के समय, लड़की के शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो उसे

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और उसकी देखभाल की कमी भी गर्भपात का कारण बन सकती है जो जीवन भर उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

माताएड्स /पिता का मानना है कि अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी करने से वे एचआईवी-से सुरक्षित रहते हैं। अनुसंधान ने विपरीत दिखाया है :20 वर्ष की आयु तक विवाह लड़कियों में एचआईवी संक्रमण के लिए एक जोखिम कारक है। केन्या में, अविवाहित लड़कियों की तुलना में विवाहित लड़कियों के एचआईवी से संक्रमित होने की संभावना 50% अधिक होती है। जाम्बिया में, जोखिम और भी अधिक)59%) है। और युगांडा में, 15 और 19 वर्ष की आयु के बीच की विवाहित लड़कियों और अविवाहित लड़कियों की एचआईवी प्रसार दर क्रमशः 89% और 66% है। उनके पतियों ने इन लड़कियों को संक्रमित किया। क्योंकि लड़कियां अपनी प्रजनन क्षमता को साबित करने की कोशिश करती हैं, उनके पति के साथ उच्च आवृत्ति, असुरक्षित संभोग होता है। उनके बड़े पतियों के पूर्व यौन साथी थे या बहुविवाहित थे।

iii. सुप्रजनन संबंधी प्रभाव (यूजेनिक)

किशोर माताओं के बच्चों के कम वजन के पैदा होने की संभावना अधिक होती है और मृत्यु का जोखिम बहुत अधिक होता है। यह शादी के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से किशोरों की खराब मातृ पोषण की कमी के कारण हो सकता है। सामान्य वजन वाले शिशुओं की तुलना में कम वजन वाले शिशुओं में मरने का जोखिम 5-30 गुना अधिक होता है। उत्तरजीवियों के बीच बड़ी संख्या में भौतिक विनाश और अपाहिज होंगे जो सामान्य रूप से परिवारों और समुदाय के लिए बोझ बन जाते हैं।

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

18 साल से कम उम्र की महिलाओं से पैदा होने वाले शिशुओं में 21 साल से अधिक उम्र की माताओं से पैदा हुए बच्चों की तुलना में मृत्यु का लगभग दोगुना जोखिम होता है। इस प्रकार, कम उम्र में शादी का परिणाम जल्दी बच्चे पैदा करना होता है जो उच्च शिशु मृत्यु दर के जोखिम से जुड़ा होता है। 12 से 16 वर्ष की आयु की माताओं को मातृत्व कुपोषण, गंभीर रक्ताल्पता, कम गर्भावस्था और प्रसव पूर्व उच्च रक्तचाप जैसी सुरक्षित मातृत्व के लिए विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो संतान के उचित पालनपोषण को -प्रभावित करेगा।

iv. शिक्षा पर प्रभाव

लड़कियों के लिए बाल विवाह और शिक्षा प्राप्ति का रिश्ता भी बहुत गहरा होता है। अधिकांश विकासशील देशों में लड़कियों का एक बार विवाह हो जाने के बाद स्कूल में बने रहना अत्यंत कठिन होता है।

बाल विवाह दुनिया के हर क्षेत्र में लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा के निम्न स्तर से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के लिए एक बाधा है। शिक्षा का खोया हुआ अवसर न केवल लड़कियों के लिए हानिकारक है बल्कि उनके बच्चों और समुदायों के लिए व्यापक प्रभाव डालता है। लड़कियों को शिक्षित करने से आर्थिक विकास और लड़कियों की आय-आर्थिक स्थिति में सुधार से गरीबी में कमी के कई सकारात्मक -अर्जन क्षमता और सामाजिक परिणाम सामने आते हैं।[11]

5. बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के रूप में

कानून और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, कानून समाज के कल्याण के लिए बनाया गया है और दोनों एक साथ विकसित होते हैं। समाज और कानून एक सिक्के के

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

दो पहलू हैं, अगर हमें समाज को समझना है तो हमें प्रचलित कानून का अध्ययन करना होगा और इसके विपरीत।

विख्यात विधिवेत्ता सविज्ञ द्वारा प्रतिपादित के "वोकलगीस्ट" सिद्धांत में कानून और समाज के बीच संबंधों की गहन चर्चा इस प्रकार की गई है।

कानून, भाषा, रीति-रिवाज और सरकार का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। लोगों में केवल एक ही शक्ति और शक्ति होती है और ये सभी कार्य का आधार है। भाषा की तरह कानून लोगों के जीवन के साथ विकसित होता है।

- वह नियम अचेतन और जैविक विकास का विषय है। इसलिए, कानून पाया जाता है और बनाया नहीं जाता है।
- कानून अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक नहीं है। भाषा की तरह, यह लोगों और उम्र के साथ बदलता रहता है। 136 उपर्युक्त सिद्धांत स्पष्ट रूप से कानून और समाज की गतिशीलता की व्याख्या करता है, और यह दोनों के बीच संबंधों पर भी जोर देता है।

गतिशीलता समाज की मूल विशेषता है और इसकी आवश्यकता के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। जहां समाज है, वहां कुछ समस्याएं निहित होंगी। इन समस्याओं में से कुछ का व्यक्तियों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इस तरह की समस्याओं के प्रभाव से एक दीर्घकालिक सामाजिक घटना का जन्म होता है जो विशेष समाज के रीति-रिवाजों में गहराई से निहित हो जाता है। एक सामाजिक समस्या सामाजिक-बुराई में बदल जाती है जब व्यक्तियों द्वारा उनके नकारात्मक पक्ष की उपेक्षा करके इसका अभ्यास किया जाता है जो लोगों को बेहद और लगातार प्रभावित करता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि समाज में हमेशा विभिन्न प्रकार की बुराइयों का समावेश होता है।[12]

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

6. बाल विवाह पर कोविड-19 का प्रभाव

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 नाम के एक नोवल कोरोना वायरस ने पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हिलाकर रख दिया है, और ऐसे वायरस के खिलाफ किए गए निवारक उपायों के कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिर गई है। इस विशाल महामारी की स्थिति ने दुनिया के महाशक्तिशाली देशों को भी बहुत प्रभावित किया है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता के अलावा इस तरह के वायरस के कई अन्य दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। ग्लोबल चैरिटी ने इस महामारी की स्थिति के दौरान और उसके बाद बाल विवाह के मामले पर चिंता पर जोर देते हुए यह बात कही। चैरिटी ने कहानए कोरोनोवायरस : महामारी के कारण अगले दो वर्षों में चार मिलियन लड़कियों पर बाल विवाह का खतरा है, जैसा कि प्रचारकों ने चेतावनी दी थी कि संकट इस प्रथा को समाप्त करने के दशकों के काम को खत्म कर सकता है।

विकल्प संस्थान के योगेश वैष्णव ने कहा, जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तब से बच्चे, विशेष रूप से लड़कियां, बड़े पैमाने पर घर में बंद हैं, जो कि कोविड-19 महामारी के जवाब में इन ओपन एयर लर्निंग सेंटर चला रहा है। स्कूलों के बंद होने और-(ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाने के लिए) प्रौद्योगिकी तक बहुत कम पहुंच के साथ, हमें डर है कि इनमें से अधिकांश लड़कियां स्थायी रूप से शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाएंगी। आर्थिक मंदी, आजीविका के नुकसान और चाइल्डकैअर सुरक्षा और सामाजिक समर्थन तक कम पहुंच के साथ, जिले में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के साथसाथ कम उम्र और बाल - विवाह के मामलों में भी तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है।[13]

7. निष्कर्ष:

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

कई बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम केवल पैमानेअप की संभावनाओं का पता लगाने के लिए - शुरू हो रहे हैं, लेकिन उत्साहजनक संकेत हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी में कमी जैसे अन्य लक्ष्यों के लिए बड़े पैमाने पर संरचनात्मक प्रयास बाल विवाह रोकथाम के साथ संबंध बनाने लगे हैं। ऐसे कार्यक्रमों का एक छोटा, लेकिन बढ़ता हुआ सेट अस्थायी लेकिन आशाजनक मूल्यांकन परिणाम प्रदान कर रहा है। बाल विवाह रोकथाम विशेषज्ञों के अनुभव पर भरोसा करके और शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में नए सरकारी और निजी क्षेत्र के प्लेटफार्मों और साझेदारी की खोज करके गहराई बनाम पैमाने और स्थिरता के बीच सही संतुलन का पता लगाएं। "व्यवस्था परिवर्तनजैसी उभरती "सामूहिक प्रभाव" और " अवधारणाओं का दोहन करके ऐसे वैकल्पिक मूल्यांकन मॉडलों का अन्वेषण करें जो सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों के लिए बेहतर अनुकूल हों।

8. संदर्भ:

1. अंश, आर., सबरवाल, एस., (2015) ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और शादी के अंदर जबरन सेक्स। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 47(2), 65-69।
2. अग्रवाल, देवी दयाल। (2015) ज्यूरिसप्रुडेंस इन इंडिया: थ्रू द एजेस। नई दिल्ली: कलपज़ प्रकाशन।
3. एग्नेस, एफ। (2017)। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देखा शादी की महिलाओं की लाइव रियलिटी। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 52(36), 16-19।
4. अहमद, एस। (2017)। ग्वालपारा में बाल विवाह में वृद्धि द टेलीग्राफ (ऑनलाइन संस्करण)। 22 मई, 2018 को पुनःप्राप्त,

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

5. अंगोला-मैकगिन, पी। (2015)। सहमति की आयु अधिनियम (1891) पर सहमति: भारत में बाल-विवाह विवाद में महिलाओं की झलक और भागीदारी। साउथ एशिया रिसर्च, 12(2), 100-118।
6. अर्नोल्ड, एफ. किशोर, एस, (2015) भारत में लिंग-चयनात्मक गर्भपात। जनसंख्या और विकास समीक्षा, 28(4), 759-785।
7. बेयसेंज, जे। (2016) 'लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बाधा के रूप में प्रारंभिक विवाह: अफ्रीका में एक विकासात्मक चुनौती' (43-66), सी। इकेकोनवु (संपा.) में। अफ्रीका में बालिका शिक्षा। नाइजीरिया: जांच, न्याय और पीस प्रेस।
8. बेली, सुसान। (2018) 'इस्लाम एंड स्टेट पावर इन प्रिक्स-कोलोनियल साउथ इंडिया', इलिनेरो स्पेशल इशू: द एंज़ियंट रिजीम, 12(1): 143-64।
9. भारती, दलबीर। (2018) महिला और कानून। नई दिल्ली: ए पी एच पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन।
10. भट, ए., सेन, ए. और प्रधान, उमा। (2015)। बाल विवाह और भारत में कानून। नई दिल्ली: ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क।
11. भावे, वाईजी (2015)। आधुनिक हिंदू त्रिमूर्ति: अंबेडकर-हेडगेवार-गांधी। नई दिल्ली: नॉर्दर्न बुक सेंटर।
12. बैक, एलन और एडवर्ड्स, जॉन एन। (2019)। एज एट मैरिज एंड मैरिटल स्टेबिलिटी', जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली, 47(1): 67-75।
13. बॉटल, सारा मॉरिसन, (2015)। मध्यम और मध्यम वाले देशों में लिंग आधारित हिंसा को विशिष्ट और प्रतिक्रिया देना: एक वैश्विक समीक्षा और विश्लेषण। वाशिंगटन डीसी: विश्व बैंक।

AIRO JOURNALS

Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN2320-3714
Volume3 Issue3
September 2021
Impact Factor:11.9
Subject Sociology

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments/updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (ifany) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification/Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright /Patent/Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me

मणि राम मीणा

******